न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

डॉ0 मधु खरे

सदस्य

पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 1664–एक/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 08–08–2006 – पारित व्दारा प्रशाकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर – प्र0क्र0 1331–एक/2004

सुश्री विद्यावाई पुत्री हीरालाल मीणा,निवासी
ग्राम सॉठखेड़ा तहसील गरोंठ जिला मंदसौर ---आवेदक

विरूद्ध

शिवनारायण उर्फ राजेन्द्र कुमार
पुत्र देवीलाल मीणा निवासी ग्राम
सॉठखेड़ा तहसील गरोंठ जिला मंदसौर ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0के0बाजपेयी)

<u>अ ा दे श</u>

(आज दिनांक 10 नवम्बर, 2015 को पारित)

तत्का. प्रशाकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्र0क्र0 1331–एक/2004 में पारित आदेश दिनांक 8–8–2006 के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम रणायरा स्थित खाता कमांक 128 पर धारित कुल किता 7 कुल रकबा 7.928 हैक्टर, ग्राम

खजूरी रूण्डा स्थित खाता क्रमांक 296 पर धारित कुल किता 10 कुल रकबा 8.239 हैक्टर एंव खाता क्रमांक 581 रकबा 1.302 हैक्टर एंव कुल किता 4 कुल रकबा 2.380 हैक्टर महिला दौलीवाई पत्नि स्वर्गीय हीरालाल के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज थी, जिसकी मृत्यु उपरांत सहायक बंदोवस्त अधिकारी गरोंठ ने प्रकरण क्रमांक 29 अ-6/98-99 में पारित आदेश दिनांक 17-9-99 से आवेदक विद्यावाई का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्व बंदोवस्त अधिकारी के यहां अपील क्रमांक 94/98-99 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 12-5-2000 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी व्दारा नामान्तरण पंजी क्रमांक 11 पर पारित आदेश दिनांक 16-2-99, पंजी क्रमांक 29 पर पारित आदेश दिनांक 21-7-99, पंजी क्रमांक 32 पर पारित आदेश दिनांक 9-6-98 एंव पंजी क्रमांक 36 पर पारित आदेश दिनांक 15-10-99 तथा प्रकरण क्रमांक 26 अ-6/98-99 में पारित आदेश दिनांक 17-9-99 निरस्त किये गये। इस आदेश के विरूद्व बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर के समक्ष अपील क्रमांक 58/99-2000 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 13-9-2004 से बंदोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 12-5-2000 निरस्त किया गया एंव सहायक बंदोवस्त अधिकारी गरोठ के आदेश यथावत् रखे गये। इस आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल ग्वालियरयर में निगरानी प्रस्तुत होने पर तत्का. प्रशाकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्र0क0 1331-एक/2004 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2006 से बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर का आदेश दिनांक 13-9-2004 निरस्त किया गया एंव बंदोवस्त अधिकारी के आदेश दिनांक 12-5-2000 को स्थिर रखा गया। तत्का. प्रशाकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्र0क0 1331-एक/ 2004 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2006 के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3/ पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा आवेदक की ओर से प्रस्तुत लेखी बहस की प्रति अनावेदक के अभिभाषक को दिलाते हुये लेखी बहस के अवलोकन के साथ ही उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक की ओर से पुनरावलोकन के आधारों में बताया गया है कि स्व. दौलीवाई भूमिस्वामी के स्थान पर नामान्तरण किसका किया जाय, विचार होना था यह विचार नहीं होना था कि स्वर्गीय हीरालाल की संपत्ति में किसे अधिकार प्राप्त हैं। स्व. हीरालाल की मृत्यु उपरांत देवीलाल एंव आवेदिका मां दौलीवाई का नामांत्रण 44 वर्ष पूर्व हो गया जिसे देवीलाल ने कभी चेलेंज नहीं किया जिसके कारण वह अंतिम है। आवेदक मृतक दौलावाई की एकमात्र पुत्री होकर नामान्तरण की अधिकारी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14(2) से किसी को अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। पूर्व पीठासीन अधिकारी ने बसीयत पर विचार नहीं किया है उन्होंने पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार करने की मांग रखी। अनावेदक के अभिभाषक ने तत्का. प्रशाकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्र0क0 1331-एक/ 2004 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2006 को विधि-संगत होना बताते हुये पुनरावलोकन आवेदन निरस्त करने की मांग रखी।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को एंव लेखी बहस पर विचार करने के उपरांत तत्का. प्रशाकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्र0क0 1331-एक/ 2004 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2006 का अवलोकन किया गया तथा म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 का अवलोकन किया गया, जिसमें पुनरावलोकन हेतु निम्नानुसार आधार बताये गये हैं :-

1. **किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके व्दारा पेश नहीं की सकती थी।**

2. मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या

3. कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक की ओर से पुनरावलोकन हेतु जो आधार बताये हैं वह तत्का. प्रशाकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1331-एक/ 2004 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2006 में विस्तृत विवेचना कर निराकृत किये जा चुके हैं जिसके कारण विचाराधीन पुनरावलोकन आवेदन में दर्शाए गए आधारों पर आदेश दिनांक 8-8-2006 के पुनरावलोकन का आचित्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन अमान्य किया जाता है। फलतः तत्का. प्रशाकीय सदस्य, राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 1331-एक/ 2004 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2006 यथावत् रहता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर